



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BHOPAL

एम्स, भोपाल में कार्यरत, संकाय सदस्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए
रियायती अवकाश यात्रा के उपभोग हेतु आवेदन-पत्र

**APPLICATION FORM FOR SEEKING OF LEAVE TRAVEL CONCESSION (L.T.C.) FOR THE
FACULTY MEMBERS/ OFFICERS/ EMPLOYEES AT THE AIIMS, BHOPAL**

1	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name of the applicant (in capital letters)							
2	पदनाम एवं विभाग Designation & Department							
3	नियुक्ति का दिनांक Date of appointment							
4	दिनों की संख्या एवं अवधि जिसके लिए अवकाश चाहिए (यदि आवेदक स्वयं रियायती अवकाश यात्रा का उपभोग करना चाहता/चाहती है) अन्यथा केवल माह दर्शाया जाये Nos. of days & period of the leave required (in the case of the applicant himself/hereself wants to avail LTC, otherwise the month may be indicated)							
5	अवकाश का स्वरूप (आकस्मिक अवकाश/ अर्जित अवकाश आदि) Nature of leave required (Casual leave/ Earned Leave etc.)							
6	क्या एल.टी.सी. का उपभोग गृह निवास के लिए चाहिए या भारत भ्रमण के लिए/भ्रमण किये जाने वाले स्थान का नाम एवं खण्ड वर्ष दर्शाएं Whether LTC is required to visit Home-Town or within India. Indicate destination and block year.							
7	क्या एल.टी.सी. स्वयं/परिवार के सदस्यों के लिए चाहिए। <i>यदि आपकी पत्नी/पति सरकारी सेवा में है तो उनके नियोक्ता का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने कार्यालय से वर्तमान चार वार्षिक खण्ड वर्ष एवं दो वर्षीय गृह निवास रियायती अवकाश यात्रा का उपभोग नहीं किया है</i> Whether LTC is required for self/family members. <i>If his/her spouse works in Government Office, a certificate from the employer of his/her spouse must be appended with this application to the effect the he/she alongwith the family members for which LTC is requesting, have not availed LTC for the current 4 years block and 2 years home town block.</i>	<table border="1"><thead><tr><th>नाम Name</th><th>आयु Age</th><th>संबन्ध Relationship</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	नाम Name	आयु Age	संबन्ध Relationship			
नाम Name	आयु Age	संबन्ध Relationship						

8	<p>आवेदक को इस आशय का प्रमाण—पत्र संलग्न करना चाहिए कि उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि माता—पिता आदि जिनके लिए एल.टी.सी. मांगी गई है, पूर्णतः उनके ऊपर आश्रित है और वृत्तिका/पेंशन, पेंशन में अस्थायी वृद्धि मंहगाई राहत को छोड़कर उनकी कुल मासिक आय 3500/ से अधिक नहीं है और उन्होने संदर्भित खण्ड वर्ष में एल.टी.सी. का उपभोग नहीं किया है।</p> <p><i>The applicants is required to certify that his/her other family members i.e. Mother & Father etc. are wholly dependent upon him/ her and the total income does not exceed more than Rs. 3500/- per month including stipend or pension, temporary increase in pension but excluding Dearness Relied on him/ her and they have not availed LTC for the block year so required, earlier.</i></p>	
9	<p>आवेदक को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि उनका पुत्र/पुत्री बेरोजगार एवं अविवाहित है और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आश्रित है उन्होने उनके लिए संदर्भित खण्ड वर्ष में एल.टी.सी. का उपभोग पहले नहीं किया है।</p> <p><i>The applicant is also required to certify that his/ her, son/ daughter are unemployed and un-married and wholly depend upon him/her and they have not availed LTC for the block for the block year so requested, on earlier occasions.</i></p>	
10	<p>क्या 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण चाहिए या नहीं</p> <p>Whether 10 days Earned Leave Encashment is required or not?</p>	<p>हाँ / नहीं YES/NO</p>
<p>NOTE :- In-laws are not entitled to LTC according to LTC Rules.</p>		

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the applicant
Email & Contact No.-----

प्रभारी/विभागाध्यक्ष/केन्द्र प्रमुख की संस्तुति टिप्पणी सहित मुहर एवं हस्ताक्षर
Signature & Stamp of the Chief/ HOD/ In-charge with recommendations/ remarks, if any

एलटीसी प्रमाणपत्र
LTC CERTIFICATE

नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाणपत्र
CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONTROLLING OFFICER

प्रमाणित किया जाता है /Certified :

(I) कि श्री/कुमारी/(सरकारी कर्मचारी का नाम)द्वारा बहिर्यात्रा की तारीख को एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली गई है।

That Shri/Shrimati/Kumari(Name of the Govt. Servant).....
Has rendered continuous service for one year or more on the date of commencing the outward journey.

(II) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 43/1/55 - ईएसटीएस.(ए) पारा 2 दिनांक 11 अक्टूबर 1956 के पैरा 3 के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई है।

That necessary entries as required under para 3 of Home Affairs O.M. No 43/1/55-Ests (A) Part II dated 11th October, 1965 have been made in the Service book of Shri/Shrimati/Kumari

नियंत्रण अधिकारी के पदनाम एवं हस्ताक्षर
Signature of Designation of the controlling Officer

सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाणपत्र
CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE GOVT. SERVANT

- 1- मेरे द्वारा खण्ड वर्ष एवं के अन्तर्गत स्वयं एवं अपने परिवार के लिए रियायती अवकाश यात्रा का अन्यत्र कोई दावा नहीं किया है।
I have not submitted any other claim so for Leave Travel Concession in respect of myself or my family members in r/o the block of the yearsand
- 2- मेरे द्वारा स्वयं /अपनी पत्नीबच्चों के साथ रियायती अवकाश यात्रा के अन्तर्गत की गई यात्रा हेतु पूर्व में यात्रा अग्रिम आहरित किया गया है। दावे की यह राशि मेरी पत्नी/मेरे द्वारामेरे बच्चों के साथ की गई यात्रा के सम्बन्ध में है जिन्होंने यह यात्रा की है।
I have already drawn TA for the leave Travel Concession in respect of journey performed by me/my wife withchildren. The claim is in respect to the journey performed by my wife/ myself with.....children none of whom traveled with the party on the earlier occasion.
- 3- मेरे द्वारा गृहनिवास रियायती अवकाश यात्रा के खण्ड वर्ष एवंके अन्तर्गत स्वयं /अपनी पत्नीबच्चों के द्वारा की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा अग्रिम आहरित नहीं किया गया है तथा दावे की यह राशि मेरी पत्नी/ मेरे तथाबच्चों के साथ की गई यात्रा के संबंध में है जिन्होंने उस खण्ड वर्ष से संबंधित कोई रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
I have not already drawn TA for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife withchildren/children in respect of the block of two years..... and This claim is in respect of the journey performed by my wife withchildren/..... Children none of whom availed of the concession relating to that block.
- 4- मेरे द्वारा वर्षमें खण्ड वर्षएवं के अन्तर्गत रियायती अवकाश यात्रा के लिए यात्रा अग्रिम आहरित किया गया है। यह दावा मेरे द्वारा वर्ष में की गई यात्रा के विरुद्ध है। यह रियायत प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित खण्ड वर्ष के अन्तर्गत गृह निवास जाने के अधीन है चूंकि मेरे परिवार के सदस्य मेरे कार्यस्थल से दूर रहते हैं।
I have already drawn TA for the Leave Travel Concession in r/o a journey performed by me in the year in r/o of block of two years and This claim is in r/o of the journey performed by me in the yearThis is against the concession admissible once every year in a prescribed block for visiting home town as all the members of my family are living away from place of work.
- 5- यह यात्रा मेरे द्वारा मेरी पत्नी एवं बच्चों के साथ मेरे द्वारा घोषित गृह नगरतक की गई है।
The journey has been performed by me/my wifechildren/children to the declared home town viz.....
- 6- यह कि मेरा पति/ मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी नहीं है।
That my husband/wife is not employed in Government.
यह कि मेरा पति / मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है एवं उनके या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए गत खण्ड वर्ष के अन्तर्गत यह रियायत अवकाश यात्रा का उपयोग नहीं किया गया है।
That my husband/wife is employed in Government Service and the concession has not been availed of by him/her separately for himself/herself or for any of the family members for the concerned block of two years.
- 7- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी /पति जिनके लिए रियायत अवकाश यात्रा की मांग की गई है (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, स्वायत्त निकाय के नाम आदि) में कार्यरत है जो रियायत अवकाश यात्रा सुविधाएं प्रदान करती है किन्तु वहां से इसकी सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है।
Certified that my wife/husband for whom L.T.C. is claimed by me is employed in(Name of the Public Sector Undertaking/Corporation/Autonomous body etc.) which provides Leave Travel Concession facilities but he/she has not preferred and will not prefer, any claim in this behalf from his/her employer.
- 8- प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी /पति जिनके लिए मेरे द्वारा रियायती अवकाश यात्रा का दावा किया गया है वे केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित क्षेत्र के उपक्रम निगम,स्वायत्त निकाय में कार्यरत नहीं है जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराती है।
Certified that my wife/husband for whom L.T.C. is claimed by me is not employed in any Public Sector Undertaking/Corporation/Autonomous body financed wholly or partly owned by the central Government Local Body which provides L.T.C. facilities to its employees and their families.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर/ Signature of Government Servant